न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 01/2023
दायर दिनांकः 04.01.2023
निर्णय दिनांक 28.11.2025

–: अनवान :–

ग्राम पंचायत आईडाणा जरिये सरपंच/ग्राम पंचायत पंचायत समिति राजसमन्द तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) जरिये ग्राम विकास अधिकारी

– निगराकार

बनाम

श्री भोपाल सिंह पिता श्री भवानी सिंह जी, जाति राव, उम्र 62 वर्ष, निवासी आईडाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 45 दिनांक 07/11/2022 के विरुद्ध

उपस्थितः–

1– श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2– विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आईडाणा के ग्राम आईडाणा के अन्तर्गत विपक्षी का पुराना पैतृक मकान स्थित होना बताकर विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत आईडाणा में एक आवेदन पैतृक सम्पत्ति का पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 22/07/2022 को किया गया। विपक्षी द्वारा आवेदन के साथ शपथ–पत्र एवं अपनी माता गेहर बाई का अनापत्ति प्रमाण–पत्र व अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का विनियमितिकरण हेतु मिसल तैयार कर कोरम प्रस्ताव अनुसार विपक्षी को दिनांक 07/11/2022 को पट्टा संख्या 45 जारी किया गया। ग्राम पंचायत आईडाणा के समक्ष विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14/12/2022 को प्रस्तुत कर विपक्षी के नाम जारी उपरोक्त पट्टे को पारिवारिक विवाद के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कारण निरस्त करने अनुरोध किया गया और अपने भाई अभय सिंह राव की आपत्ति के कारण पट्टा निरस्त करने की मांग की। इसी प्रकार अभय सिंह द्वारा भी माननीय जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द के यहां जन सुनवाई में पट्टा निरस्त कराने की मांग की हैं। विपक्षी द्वारा पट्टा निरस्त हेतु आवेदन एवं असल आवसीय भूमि विलेख सनद पट्टा पंजीयन दस्तावेज एवं असल पट्टा भी ग्राम पंचायत में पेश किये हैं। विपक्षी द्वारा अपने पट्टे को स्वयं निरस्त कराने की मांग की गई तथा अपने भाई अभय सिंह द्वारा विवाद करने से पट्टा निरस्त हेतु आवेदन किया गया और ग्राम पंचायत में असल दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिये हैं, जो ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त का अधिकार निहित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निरस्त हेतु श्रीमान् के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत हैं। विपक्षी एवं उसके भाई अभय सिंह का पुश्तैनी सम्पत्ति में आपसी विवाद होने एवं आपसी पुरानी लिखावट को एक–दूसरे द्वारा नहीं मानने से ग्राम पंचायत में पट्टा निरस्त हेतु आवेदन करने एवं माननीय जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के समक्ष भी अभय सिंह द्वारा पट्टटा निरस्त करने की शिकायत करने से निर्देशानुसार निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 45, दिनांक 07/11/2022 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी उपस्थित। उसके बाद लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित। दिनांक 09.10.2023 को अप्रार्थी के पुत्र ने जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी के लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा ग्राम पंचायत आईडाणा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत आईडाणा के ग्राम आईडाणा के अन्तर्गत विपक्षी का पुराना पैतृक मकान स्थित होना बताकर विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत आईडाणा में एक आवेदन पैतृक सम्पत्ति का पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 22/07/2022 को किया गया। विपक्षी द्वारा आवेदन के साथ शपथ–पत्र एवं अपनी माता गेहर बाई का अनापत्ति प्रमाण–पत्र व अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का विनियमितिकरण हेतु मिसल तैयार कर कोरम प्रस्ताव अनुसार विपक्षी को दिनांक 07/11/2022 को पट्टा संख्या 45 जारी किया गया। ग्राम पंचायत आईडाणा के समक्ष विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14/12/2022 को प्रस्तुत कर विपक्षी के नाम जारी उपरोक्त पट्टे को पारिवारिक विवाद के कारण निरस्त करने अनुरोध किया गया और अपने भाई अभय सिंह राव की आपत्ति के कारण पट्टा निरस्त करने की मांग की। इसी प्रकार अभय सिंह द्वारा भी माननीय जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द के यहां जन सुनवाई में पट्टा निरस्त कराने की मांग की हैं। विपक्षी द्वारा पट्टा निरस्त हेतु आवेदन एवं असल आवसीय भूमि विलेख सनद पट्टा पंजीयन दस्तावेज एवं असल पट्टा भी ग्राम पंचायत में पेश किये हैं। विपक्षी द्वारा अपने पट्टे को स्वयं निरस्त कराने की मांग की गई तथा अपने भाई अभय सिंह द्वारा विवाद करने से पट्टा निरस्त हेतु आवेदन किया गया और ग्राम पंचायत में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

असल दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिये हैं, जो ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त का अधिकार निहित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निरस्त हेतु श्रीमान् के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत हैं। विपक्षी एवं उसके भाई अभय सिंह का पुश्तैनी सम्पत्ति में आपसी विवाद होने एवं आपसी पुरानी लिखावट को एक–दूसरे द्वारा नहीं मानने से ग्राम पंचायत में पट्टा निरस्त हेतु आवेदन करने एवं माननीय जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के समक्ष भी अभय सिंह द्वारा पट्टटा निरस्त करने की शिकायत करने से निर्देशानुसार निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 45, दिनांक 07/11/2022 को निरस्त फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत आईडाणा की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी ग्राम पंचायत आईडाणा द्वारा प्रस्तुत की गयी है इस निगरानी में रेस्पोडेन्ट श्री भोपाल सिंह दो पेशी के बाद से ही उपस्थित नहीं रहे है अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके है। अपीलान्ट/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी निगरानी को ही बहस माने जाने का कथन किया है। यह प्रकरण ग्राम पंचायत आईडाणा द्वारा जारी आवासीय भूमि के पट्टा संख्या 45 दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। यह पट्टा श्री भोपाल सिंह पिता भवानी सिंह राव के नाम पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया था। जिसमें यह माना गया था कि 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर आवंटी का कब्जा है अर्थात् यह मकान पुश्तैनी है अतः यह पट्टा जारी किया गया है। इसमें स्वयं आवंटी श्री भोपालसिंह राव द्वारा ग्राम पंचायत आईडाणा को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा यह निवेदन किया गया कि इस पट्टे को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि इस संपत्ति के संबंध में भाईयों में आपसी विवाद है। तथा यह जो पट्टा है वह पुश्तैनी मकान का होकर अकेले उनके नाम पर जारी हो गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की पत्रावली में भी श्री अभयसिंह राव द्वारा इस पट्टे के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत किया जाना पाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी जाहिर हुआ कि इस पत्रावली में जो भी दस्तावेज लगे हुए है। उसमें किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं है। इसमें जो आवेदक द्वारा पट्टे हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है परन्तु उस पर भी कोई दिनांक व पड़ौस अंकित नहीं है। आवेदक श्री भोपालसिंह का जो शपथ पत्र इसमें प्रस्तुत किया गया उस पर भी कोई दिनांक का अंकन नहीं है। गवाहो द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए है उनमें भी कोई दिनांक का अंकन नहीं है। तथा इसमें संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र का जो प्रपत्र

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लगा हुआ है उस पर भी गवाहों द्वारा दिनांक का अंकन नहीं किया गया है और निरीक्षण प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है उस पर भी दिनांक का अंकन नहीं है साथ ही जो नजरी नक्शा बनाया गया है वो भी दिनांक रहित है। अर्थात् पत्रावली के सभी दस्तावेज एक ही दिन में तैयार किया जाना पाया जाता है क्योंकि ग्राम पंचायत की जो कार्यालय टिप्पणी संख्या 1, 2, 3 है, उस में भी किसी प्रकार कि दिनांक का अंकन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मात्र दस्तावेजों की पूर्ति की औपचारिकता अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत आईडाणा द्वारा की जाकर पुश्तैनी मकान का पट्टा किसी एक ही वारिस के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो नियमानुसार निरस्त होने योग्य हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 45, दिनांक 07/11/2022 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत आईडाणा द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 07.11.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत आईडाणा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद